उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

संख्या- 113/2017/3257जे/22-5-2017-1200(27)2017

लखनऊ : दिनांक 14 दिसम्बर, 2017

वारण्ट

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध दो सिद्धदोष बन्दी राधेश्याम यादव पुत्र जागेश्वर तथा कल्लू कठेरिया उर्फ देवेन्द्र कठेरिया पुत्र रामस्वरूप को मुख्य चिकित्साधिकारी, फर्रूखाबाद द्वारा मानसिक रोग से ग्रसित पाया गया है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-510 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदी को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उन्हें केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में वापस भेज दिया जाये।

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या-113/2017/3257जे/22-5-2017-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-42488/सामा-1(1)/मानसिकबंदी/17/2016, दिनांक 27-11-2017 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित।
2. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ ।
3. जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद ।
4. पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद ।
5. प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in